न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व दरख्वास्त संख्या : 90/2009

प्रार्थीगण :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
1. लादूराम पुत्र घीसाराम		1. हीराराम पुत्र चिमनाराम
2. नरसिंग पुत्र घीसाराम		2. पपुराम पुत्र हीराराम
3. भगवानराम पुत्र घीसाराम		3. नौरतराम पुत्र हीराराम
4. शिवाराम पुत्र घीसाराम		4. सुरेश पुत्र हीराराम
जातियान–चौकीदार, निवासी–बलून्दा		जातियान–चौकीदार, निवासी–बलून्दा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली		तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 **तारीख रजू: 01/07/2009**

उपस्थितः– 1. श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 12/06/2015**

वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध गै0सा0 इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, तहसील–जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2309 रकबा 28–10 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। इस कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त हैं और शांतिपूर्वक इसका उपयोग / उपयोग करते आ रहे हैं। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति इस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न हैं, जिससे इसका एक भाग माना जावें। उपरोक्त खसरा नम्बरान् की जमीन के दक्षिणी तरफ अप्रार्थीगण की जमीन आई हुई हैं। जिसकी पेमाईश सभी की सहमति से दिनांक 10/11/2008 को 100/– रू0 के स्टाम्प पर लिखकर की गई थी। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या के ज्यादा हैं व प्रार्थीगण की जमीन हड़पना चाहते हैं। लिखापढ़ी पर अन्य मोतबिरान व साक्षीगणों के भी हस्ताक्षर हैं। अप्रार्थीगण की गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझया गया। फिर भी उनके नहीं मानने पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा हैं तथा नकल ईकरार बंट्वाड़ा बाबत् एक फोटो प्रति प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की जा रही हैं। जिससे प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। अप्रार्थीगण ने इस वर्ष प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर नाजायज रूप से गैरकानूनी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की और हमेशा गाली गलौच करते हैं और जान से मारने की धमकियाँ भी देते हैं, जिसकी एक रिपोर्ट पुलिस थानाधिकारी आनन्दपुर कालू को पेश की गई। प्रार्थीगण की खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण ने नाजायज तौर से जबरदस्ती लाठी के बल पर गैरकानूनी रूप से अवैध अतिक्रमण कर कृषि भूमि हड़प कर ली, तो प्रार्थीगण अपने जायज कानूनी हक, हकूकों से वंचित रह जायेगें। जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक नुक्शान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी, इसलिये अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण हरगिज ऐसा नहीं करने देगें। निवेदन हैं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि का माप (पेमाईश) सीमांकन व तरमीम जरिए पुलिस इमदाद से करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर–बलून्दा में पेश हुई। मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य बंटवाड़ा इकरार हो चुका हैं। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण दखल करते हैं। पटवारी हल्का की सीमांकन रिपोर्ट भी शामिल मिसल हैं। राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण ही खातेदार काश्तकार खसरा नम्बर 2309 रकबा 28–10 बीघा का हैं। अप्रार्थीगण का इस आराजी पर किसी तरह का कोई हक हिससा नहीं हैं। प्रार्थीगण का राजस्व अभिलेख से खातेदार काश्तकार होने का प्रमाणित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य हैं।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा–बलून्दा, तहसील–जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2309 रकबा 28–10 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि का सीमांकन / पत्थरगढ़ी कर तरमीम किया जावें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो प्राप्त करें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–बलून्दा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner